कार्यादेश

कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी बेरीनाग ।

पत्रांक मैमो / सा0नि0 / कार्यादेश / 2022-23 / दिनांक 01-12-2022

श्री जगदीश चन्द पाठक [illegible]

ग्रा.पं.वि.अ.

विकास खण्ड बेरीनाग

आपके क्षेत्र में मा0सांसद श्री अजय टम्टा द्वारा योजना ग्राम पंचायत सांगड बेरीनाग में गौनीउडियार से सांगड की ओर सी.सी.मार्ग निर्माण कोष वित्तीय वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत निम्न सामूहिक उपयोगिता की योजना स्वीकृत की गयी है

योजना-ग्राम पंचायत सांगड बेरीनाग में गौनीउडियार से सांगड की ओर सी.सी.मार्ग निर्माण

स्वीकृत धनराषि 1.50 लाख (एक लाख पचास हजार मात्र)

अतः आप निम्न प्रतिबन्धों के साथ कार्य प्रारम्भ करें ।

1-योजना के कार्य प्रारम्भ करने से पूर्ण कनिष्ठ अभियन्ता (आर0डब्लू0डी0) से स्वीकृत प्राक्कलन के आधार पर तकनीकी निर्देषानुसार कार्य प्रारम्भ करें।

2- योजना में स्थानीय लोगों को ही रोजगार दिया जायेगा।

3- दैनिक श्रमिकों को कुल रू0 213 .00 प्रतिदिन मजदूरी देय होगी।

4- योजना के कार्यस्थल पर मजदूरों का मस्टररौल रखा जायेगा। जिसमें दैनिक उपस्थिति ली जायेगी, जिसे ग्राम विकास अधिकारी / कार्यप्रभारी द्वारा भरा जायेगा।

5- टोलीनायक उसी व्यक्ति को बनाया जाय जिसे इस सम्बन्ध में कार्य का पर्याप्त अनुभव हो।

6- प्रत्येक कार्य में गुणवत्ता पर विषेष ध्यान दिया जायेगा।

7- योजना में भुगतान संबन्धित कनिष्ठ अभियन्ताओं की संस्तुति पर ही सम्भव होगा, द्वितीय / अन्तिम भुगतान योजना का मूल्यांकन प्रस्तुत करने पर ही सम्भव होगा, भुगतान हेतु वांछित प्रपत्र तथा मस्टररौल / व्यय भावचर आदि प्रस्तुत करने पर ही वित्तीय नियमों के तहत भुगतान सम्भव हो पायेगा। निर्मित विकास कार्य का कार्यपूति प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना आवष्यक होगा।

8- योजना पूर्ण होने पर सम्बन्धित ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित की जायेगी।

9- योजना का कार्य गुणवत्ता के साथ छः माह तक हर दषा में पूर्ण करें।

10- योजना स्थल में बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।

11- योजना के फोटोग्राफ अन्तिम भुगतान से पूर्व कार्यालय में जमा करने होंगे।

12- वन अधिनियम का पूर्ण ध्यान दिया जाय।

13- सामाग्री कय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अन्तर्गत ही कि जायेगी।

14- योजना में विवाद होने पर तत्काल इस कार्यालय को अवगत कराना होगा।

15- अ0जा0 / ज0जा0 हेतु स्वीकृत कार्य अ0जा0 / ज0जा0 बस्ती में ही कराये जाय।

16- सम्पर्क मार्ग में किसी भी दषा में खडन्जा मार्ग नही बनाया जायेगा। उसमें सी0सी0 मार्ग का कार्य किया जायेगा।

खण्ड विकास अधिकारी
बेरीनाग (पिथौरागढ़)

प्रतिलिपि- 1. अवर अभियन्ता (आर.डब्ल्यू.डी) (लघु सिचाई) विकास खण्ड बेरीनाग को इस आषय के साथ कि सम्बन्धित को निर्माण कार्य हेतु समय-समय तथा जिला स्तरीय अधिकारियों के निर्देषानुसार कार्य कराना सुनिष्चित करें तथा तकनीकी मार्ग निर्देषन देना सुनिष्चित करें।

2-सदस्य नगर पंचायत बेरीनाग को सूचनार्थ प्रेषित।

खण्ड विकास अधिकारी
बेरीनाग (पिथौरागढ़)
खण्ड विकास अधिकारी